न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4836/2006/अलवर

1– रामसिंह पुत्र सुगड़सिंह पौत्र श्री उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कानपुरातन खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर।
2– भागीरथ सिह पुत्र उमरावसिंह – फौत
2/1. सागरदेवी बेवा भागीरथसिंह,
2/2. मुन्नीदेवी पुत्री भागीरथसिंह,
2/3. कृपा पुत्री भागीरथसिंह,
2/4. रोहिताश पुत्र भागीरथसिंह,
2/5. किशनसिंह पुत्र भागीरथसिंह,
2/6. हीरासिंह पुत्र भागीरथसिंह।
3– मु0 कंवरदेवी बेवा रघुवीरसिंह,
4– रूपसिंह पुत्र रघुवीरसिंह,
5– मु0 सुगनी बेवा भंवरसिंह पुत्रवधू उमरावसिंह,
6– साधूसिंह पुत्र उमरावसिंह – फौत
6/1. मु0 भंवरीदेवी बेवा साधूसिंह,
6/2. हजारीसिह पुत्र साधूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी तन खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर।

.....**अपीलांट**

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर।
2– तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर।

..... रैस्पोडेंटस

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अयूब खान, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय

दिनांक : 01 अगस्त, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–4–2006 अपील सं0 92/2005 बउनवानी रामसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद बाबत इस्तकरारहक एवं हुक्मईम्तनाई दवामी विचारण न्यायालय में

इस आशय का पेश किया कि साबिक ख0 नं0 256 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा तथा 257 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा वो ग्राम खेड़ा जो कि बन्दोबस्त हाल साबिक ख0 नं0 256 मिन रकबा 10 बिस्वा, 257 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 263 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा को बेजा रूप से साबिक ख0 नं0 256 व 257 को शामिल किया गया है। वादग्रस्त आराजी सुरजनसिंह पुत्र जयमल सिंह की खातेदारी की बुर्जुगानी आराजी रही है जिसके जर्ये बयनामा दिनांक 14–8–1964 को हमारे पिता ने खरीद की थी व वक्त खरीद से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। किन्तु सैट्लमेन्ट विभाग द्धारा उक्त साबिक आराजी ख0 नं0 256 रकबा 10 बिस्वा व 257 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 1 बीधा 16 बिस्वा हाल आराजी ख0 नं0 338 में मिलाकर चारागाह दर्ज कर दी। अतः वादग्रस्त आराजी को वादीगण की कबजे काश्त खातेदारी की आराजी दर्ज की जावें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों से इन्कार करते हुए दिनांक 31–8–2004 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के पेश होने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–04–2006 से अपीलांट की अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया जिस निर्णयव डिक्री दिनांक 21–4–2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि वादीगण/अपीलांट एक ही परिवार के सदस्य हैं जो कि मृतक उमरावसिंह के काबिज वारिसान है। वादग्रस्त आराजी सुरजनसिंह पुत्र जयमलसिंह की खातेदारी की बुजुर्गानी आराजी रही है जिसको जर्ये बयनामा दिनांक 14–8–1964 को अपीलांट के पिता ने खरीद की थी तथा वक्त खरीद से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। बन्दोबस्त हाल ने इस आराजी का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा को हाल नम्बर 330 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा में शामिल कर बेजा तौर पर भवानीसिंह राजपूत के नाम दर्ज कर दिया और साबिक ख0 नं0 256 का 10 बिस्वा व साबिक ख0 नं0 257 का 1 बीघा रकबा को हाल ख0 नं0 338 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा

में शामिल कर गलत रूप से चारागाह दर्ज कर दिया। जबकि प्रस्तुत रेकार्ड से अपीलांट का वाद साबित था। कमिश्नर रिपोर्ट में भी उक्त आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा बताया गया है तथा वादग्रस्त आराजी कभी भी चारागाह नहीं रही है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट ने खातेदार से क्रय की है। दावा करने से पूर्व अपीलांट ने रेस्पो0 को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस भी दिया किन्तु तहत न्यायालय ने तनकीयात का सही विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया। इसलिए दोनों अधीनस्थ/अपीलीय न्यायालय के निर्णय अपास्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5- इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन दर्ज रेकार्ड है जिस पर धारा 16 आर0टी0एक्ट के प्रावधान अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन चारागाह है जो कि ग्राम पंचायत में निहित है। इस लिए दोनों अपीलीय न्यायालय व विचारण न्यायालय द्धारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, वह विधिसम्मत एवं कानून सम्मत है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि आराजी ख0 नं0 338 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम खेड़ा चारागाह दर्ज रेकार्ड है जो सरकारी भूमि है। गत ख0 नं0 256 मिन रकबा 10 बिस्वा व 257 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादीगण की बुजुर्गानी आराजी रेकार्ड से साबित नहीं होती है। दिनांक 15-6-1964 को विक्रेता सुरजनसिंह द्धारा कराया गया बयनामा का कोई इन्तकाल बयनामें के आधार पर क्रेता के पक्ष में स्वीकृत होने का कोई अंकन नहीं है। विक्रेता स्वयं ही रेकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं था। ऐसी स्थिति में बिना अधिकार के किया गया बेचान शून्य है क्योंकि आराजी राजकीय चारागाह भूमि है और राज्य सरकार के विरूद्ध वाद लाने से पूर्व नियमानुसार 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना चाहिए जो नहीं दिया गया। वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 से वर्जित भूमि है जिसमें खातेदारी हक प्रदत्त नहीं किये जा सकते। विचारण न्यायालय द्धारा वादीगण/अपीलांट का वाद खारिज किया गया है।

7– अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–4–2006 में अंकित किया कि पत्रावली पर ना तो उक्त इन्तकाल ही उपलब्ध है और ना ही सुरजनसिंह किसी राजस्व रेकार्ड से खातेदार सिद्ध है। जब खातेदार सिद्ध ही नहीं था तो भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजी हाल ख0 नं0 338 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा रेकार्ड में चारागाह दर्ज है। अपीलांट ने बन्दोबस्त से पूर्व का ऐसा कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी का काबिज काश्तकार बन्दोबस्त से पूर्व था या फिर बन्दोबस्त से पूर्व विक्रेता सुरजनसिंह खातेदार था और बन्दोबस्त ने गलत इन्द्राज कर दिया। वादग्रस्त आराजी रेकार्ड में चारागाह दर्ज है और गैर मुमकिन भूमियों पर धारा 16 आर0टी0एक्ट के अनुसार खातेदारी देना प्रतिबंध है। ना ही ऐसा कोई सबूत पेश किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी के खातेदार का विक्रेता सुरजनसिंह वारिस हो एवं उक्त आराजी विरासत में मिली हो। वादी अपीलांट अपने वाद को सिद्ध नहीं कर पाया इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया।

8– विद्धान अपीलीय न्यायालय का यह कथन कि अपीलांट ने बन्दोबस्त से पूर्व का ऐसा कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का बन्दोबस्त से पूर्व काबिज काश्तकार था। जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में जमाबन्दी खतौनी ग्राम खेड़ा सम्वत् 2053 में काश्तकार के कॉलम सं0 4 में सुगड़सिंह, साधूसिंह, भागीरथसिंह, रघुवीरसिंह पि0 उमराव सिंह, सुगनी बेवा भंवरसिंह कौम राजपूत सा0देह खातेदार आराजी ख0 नं0 339 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा का अंकन है। इसके अलावा एक्जी.पी–4 भू–प्रबन्ध मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2021, एक्जी.पी–6 भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2021 की जमाबन्दी भी प्रस्तुत की गई है। एक्जी.पी–9 जमाबन्दी खैवट खतौनी ग्राम खैड़ा सम्वत् 2018 व 2013 भी प्रस्तुत की गई है। विद्धान अपीलीय न्यायालय का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि वादग्रस्त आराजी के बाबत अपीलांट ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सकें कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार विक्रेता सूरजनसिंह वारिस हो एवं उक्त आराजी विरासत में सुरजनसिंह को मिली हो। विचारण न्यायालय की पत्रावली में वादीगण द्धारा अपने समर्थन में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये गये किन्तु न तो विचारण न्यायालय ने और न ही अपीलीय न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात का सही ढंग से अवलोकन एवं विवेचन किया है।

इसलिए हमारी राय में प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–04–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, बानसूर द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–8–2004 निरस्त करते हुए प्रकरण विद्धान उपखण्ड अधिकारी, बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी बाबत वादीगण/अपीलांट द्धारा जो राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किये गये है उनका अवलोकन करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य